लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक-BRLPS/ LSBA/12/16/175 दिनांक- 05.06.18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक।

सेवा में

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
पटना, बिहार।

विषय: पटना जिला के दानापुर प्रखंड के सरारी पंचायत में शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि के भुगतान एवं अनियमितता के जांच के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय सूचित करना है कि श्री सुरेश कुमार शर्मा, ग्राम-सरारी, पोस्ट-खगौल, पटना द्वारा प्राप्त पत्र जो शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि के प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रक्रिया के लिए रिश्वत की मांग करने एवं अनियमितता से संबंधित पत्र प्राप्त हुआ है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर (कुल-4 पृष्ठों में) आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अत: अनुरोध है कि उक्त आवेदन पर यथोचित जांच कराकर लाभार्थी को न्याय दिलाने की आवश्यकता है तथा जांच प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

अनु०-यथो० (कुल 4 पृष्ठों में)

5/6/18

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक,जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

LSBA-85
29.5.18

शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु मार्गदर्शिका/दिशा-निर्देश निर्गत
उच्च प्राथमिकता

SC-LS03A

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
29 MAY 2018

Pramod

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-
-मिशन निदेशक,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
बिहार, पटना।

विषय :- शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में।

—×—×—

प्रसंग :- उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना के पत्रांक 42-2/16-459 दिनांक 30/12/17, ज्ञापांक 40-22/18-0/03 दि० 21/5/18 एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर के पत्रांक 77 दिनांक 17/1/18, पत्रांक-14 दिनांक 14/5/18

—×—×—

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में सादर अनुरोध करते हुये कहना है कि मेरा पुत्र किशोर कुणाल लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, शौचालय निर्माण के पश्चात, प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर को दिनांक 2/10/17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

(2) श्रीमती आशा कुमारी, प्रखण्ड समन्वयक, दानापुर द्वारा जाँच के क्रम में मुझसे ₹ 2000/= दो हजार रुपये रिश्वत की माँग की गई यह कहते हुये कि सारी पंचायत में जितने लाभुक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है, सभी से ₹ 2000/= प्रति शौचालय रिश्वत लिया गया है, क्योंकि इस राशि को B.D.O. से लेकर सम्बन्धित कर्मचारी को बाँटना पड़ता है, रिश्वत की रकम 2000/= देने के बाद ही Geo taging और ODF की प्रक्रिया पूरी करके आपको प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।

(3) सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत, मैंने रिश्वत की रकम 2000/= देने से साफ इन्कार कर दिया कि पैसे के बल पर काम कराना अपराध है, और मैं भ्रष्टाचारी के दबाव में न रहते हुये राशि भुगतान के लिए मौखिक एवं लिखित अनुरोध करता रहा।

(4) प्रखण्ड समन्वयक, दानापुर ने दिनांक 15/1/18 को एक जाली फर्जी/बनावटी मनगढ़ंत, झूठी सम्पूर्ण साजिश के तहत, आपत्तिजनक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका प्रति उत्तर मैंने दिनांक 7/2/18 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर को प्रस्तुत किया, और भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने अनेकों बार सम्पर्क किया हमेशा उत्तर नहीं मिलता रहा कि प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु दिशा-निर्देश के लिए जिला में भेजा गया है जबकि दिशा-निर्देश/मार्गदर्शिका की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे मात्र रिश्वत नहीं देने के वजह से प्रखण्ड समन्वयक द्वारा अभी तक उत्पीड़न और प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ तक कि पूछने पर एक वरिष्ठ नागरिक के अपमानजनक तरीके से दुर्व्यवहार भी किया जाता है और कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी शिकायत करना है करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।

शेष पृष्ठ-2 पर

LSBA-85 Laxeti 29.5.18

शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु, मार्गदर्शिका दिशा-निर्देश निमित्त

उच्च प्राथमिकता

SC-LS030A

29 MAY 2018 बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति

Pramod.

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,-सह-
-मिशन निदेशक,
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,
बिहार, पटना।

विषय:- शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु मार्गदर्शिका के सम्बन्ध में।

—×—×—

प्रसंग:- उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना के पत्रांक ५२-२/१६-४५९ दिनांक 30/12/17, ज्ञापांक ५०-२२/१८-०/०३ दि० 21/5/18 एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर के पत्रांक 77 दिनांक 17/1/18, पत्रांक-14 दिनांक 14/4/18

—×—×—

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों के आलोक में सादर अनुरोध करते हुये कहना है कि मेरा पुत्र किशोर कुणाल लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, शौचालय निर्माण के पश्चात, प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर को दिनांक 2/10/17 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

(2) श्रीमती आशा कुमारी, प्रखण्ड समन्वयक, दानापुर द्वारा जाँच के क्रम में मुझसे ₹ 2000/= दो हजार रुपये रिश्वत की माँग की गई यह कहते हुये कि मयरी पंचायत में जितने लाभुक को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है, सभी से ₹ 2000/= प्रति शौचालय रिश्वत लिया गया है, क्योंकि इस राशि को B.D.O. से लेकर सम्बन्धित कर्मचारी को बाँटना पड़ता है, रिश्वत की रकम 2000/= देने के बाद ही Geo toging और ODF की प्रक्रिया पूरी करके आपको प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जायेगा।

(3) सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत, मैंने रिश्वत की रकम 2000/= देने से साफ इन्कार कर दिया कि पैसे के बल पर काम कराना अपराध है, और मैं भ्रष्टाचारी के दबाव में न रहते हुये राशि भुगतान के लिए मौखिक एवं लिखित अनुरोध करता रहा।

(4) प्रखण्ड समन्वयक, दानापुर ने दिनांक 15/1/18 को एक जाली/फर्जी/बनावटी मनगढ़ंत, सोची समझी साजिश के तहत, आपत्तिजनक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसका प्रति उत्तर मैंने दिनांक 7/2/18 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर को प्रस्तुत किया, और भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने अनेकों बार सम्पर्क किया। हमेशा उत्तर यही मिलता रहा कि प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु दिशा-निर्देश के लिए जिला में भेजा गया है जबकि दिशा-निर्देश/मार्ग-दर्शिका की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे मात्र रिश्वत नहीं देने के वजह से प्रखण्ड समन्वयक द्वारा अभी तक उत्पीड़न और प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ तक कि पूछने पर एक वरिष्ठ नागरिक को अपमानजनक तरीके से दुर्व्यवहार भी किया जाता है और कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी शिकायत करना है करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेष पृष्ठ---/2 पर

(5) विदित हो कि शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान 15 दिनों के अन्दर नही होने पर उप विकास आयुक्त सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, पटना को अपने पत्र (दिनांक 7/2/18, 5/3/18 / 26/3/18 द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दानापुर) दिनांक 11/12/17 / 19/2/18 / 3/4/18 / 17/4/18 एवं 3/5/18 द्वारा सारी वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुये अनुरोध करता आ रहा हूँ, परन्तु कोई संतोषजनक उत्तर नही मिला, सिर्फ मौखिक रूप से यही कहा जाता है कि दिशा-निर्देश हेतु जिला को भेजा गया है।

(6) उपरोक्त के आलोक में विनम्रता पूर्वक कहना है कि प्रखण्ड समन्वयक मिस आशा कुमारी, दानापुर द्वारा पिछले 8-9 महीने से रिश्वत की राशि 2000/= दो हजार रुपये नही देने के कारण मुझे बुरी तरह दुर्व्यवहार अपमानजनक / असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हुये काफी Torture / Harassment किया गया है जो असहनीय है, और मैं बाध्य होकर यह शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले को अति गम्भीरता से लेते हुये शौचालय निर्माण के पश्चात मापदण्ड के अनुसार चाहे वह किसी भी प्रकार का शौचालय हो प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का प्रावधान है अथवा नही नियमानुकूल प्रोत्साहन राशि भुगतान करने का दिशा-निर्देश / मार्ग-दर्शन सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को ~~सख्त~~ अविलम्ब देने की कृपा की जाए, तथा कृत कारवाई से प्रताड़ित लाभुक को निम्नलिखित पते पर संसूचित करना सुनिश्चित किया जाए, ताँकि अग्रेतर कारवाई की जा सके।

सादर समर्पित।

अनुलग्नक :- 2 (दो प्रति) यथोपरि पत्र(4)

आपका विश्वासी,

(signature) 29.5.18

दिनांक :- 29/5/18

(सुरेश कुमार शर्मा)
"वरिष्ठ नागरिक"
ग्राम :- सरारी, पो० :- खगौल - 801105,
जिला :- पटना (बिहार)
मो० नं० :- 09334282765

उच्च प्राथमिकता

अति आवश्यक

सेवा में,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,

दानापुर (पटना)

विषय :- अनुमण्डलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर से प्राप्त परिवाद के जाँच के सम्बन्ध में।

—×—×—

संदर्भ :- भवदीय का ज्ञापांक 528।1-08663 दिनांक 11/1/2018

स्पष्टीकरण :- आशा कुमारी, प्रखण्ड समन्वयक, प्रखण्ड विकास कार्यालय, दानापुर।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में प्रखण्ड समन्वयक, दानापुर के पत्र दिनांक 15/1/18 जो मुझे 5/2/18 को हस्तगत कराया गया है के आलोक में स्पष्ट करते हुये कहना है कि मेरे पुत्र किशोर कुणाल द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के उपरान्त प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु दिनांक 2 अक्टूबर 2017 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, दानापुर में आवेदन किया था।

(2) 15 दिनों के अन्दर प्रोत्साहन राशि भुगतान नही होने तथा दो महीने तक आवेदन पत्र पर कोई कारवाई नही किये जाने और न कोई सूचना दिये जाने तथा प्रखण्ड समन्वयक से सम्पर्क स्थापित करने पर कोई सन्तोषजनक जवाब नही मिलने के परिणाम स्वरूप उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पटना को दि० 11.12.17 को सूचित किया गया, फिर भी कोई कारवाई एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान (बिना कोई कारण बताये) नही किया गया।

(3) तत्पश्चात, विक्षुब्ध होकर दिनांक 9/1/18 को अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर के समक्ष अपना प्रोत्साहन राशि का लाभ/राहत दिलाने हेतु एक परिवाद पत्र दायर किया गया। अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर द्वारा नोटिस जारी कर जाँच प्रतिवेदन सम्बन्धित (लो०प्रा०) अधिकारी (प्रखण्ड विकास अधिकारी, दानापुर) से माँगा गया।

(4) दिनांक 5/2/18 को सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकार प्र० वि०पदा०, दानापुर के प्रतिनिधि द्वारा प्रखण्ड समन्वयक दानापुर से प्राप्त प्रतिवेदन दि० 15/1/18 प्रस्तुत किया गया,

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

07/2/18

(सुमन बाबू)

बड़ा बाबू

प्रखण्ड विकास कार्यालय

दानापुर।

शेष पृष्ठ .... /2 पर

जिसकी प्रतिलिपि लोक प्राधिकार के प्रतिनिधि द्वारा मुझे भी हस्तगत कराया गया, जो बिल्कुल गलत, फर्जी, बनावटी और असत्य प्रतीत होता है, पुनः सुस्पष्ट करते हुये कहना है कि भवन / घर बहुदेशीय ढंग से निर्माण किया गया है तथा शौचालय में एक सीट, दो टंकी और एक दरवाजा मापदण्ड के अनुसार लगाया है, क्या उस भवन में महिला निवास करती है तो शौच करने के लिए बाहर खुले खेत में लोटा लेकर जायेगी ?

(5) एक ओर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, खुले में शौचालय नही जाने और शौच नही करने के लिए सरकार कृत संकल्प है, और दूसरी ओर इसी उद्देश्य प्रखण्ड समन्वयक द्वारा बने हुये पक्का शौचालय को फर्जी जाँच प्रतिवेदन आपत्ति जनक बताकर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है, और लाभार्थी को उत्पीड़न / प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे साफ प्रतीत होता है कि Something behind it है।

(6) विदित हो कि सराय ग्राम पंचायत के सराय गाँव में सुरेश कुमार शर्मा का मात्र एक मकान है, जिसमे मूल रूप से निवास करता है तथा मेरे पुत्र द्वारा निर्मित नये मकान में परिवार आता-जाता रहता है आवश्यकतानुसार, इसमें दो राय नही है।

(7) जहाँ तक प्रखण्ड समन्वयक द्वारा पूछताछ के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा जो बातें बताया गया है, जो फर्जी जाली है, उन स्थानीय लोगों का नाम / पता मुझे अविलम्ब बताने की कृपा की जाए, जिन्होंने इस प्रकार का गलत बयान देकर गुमराह किया गया है तथा जो आपने सुना है, उसकी सम्पुष्टि हो और भविष्य में गलत बयानबाजी का पुनरावृत्ति न हो। मेरा पुत्र किशोर कुमार सरकारी सेवा में कार्यरत नही है वह निजी (Private) सेवा में बाहर नही मीलर में कार्यरत है।

अतः उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रखण्ड समन्वयक, दानापुर द्वारा जानबुझ कर सोची-समझी साजिश के तहत, अपने कार्य में विलम्बता छुपाने के लिए जाँच-प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि शौचालय निर्माण के पश्चात, प्रोत्साहन राशि भुगतान करने हेतु, इन सब बातों की आते आवश्यकता नही है, और न जिला स्तर से मार्ग दर्शन की कोई खास आवश्यकता है। इसे Good Faith करते हुये D.F घोषित की प्रकिया पूरी कर प्रोत्साहन राशि अविलम्ब भुगतान करने की कृपा की जाए।

सादर !

दिनांक :- 7 फरवरी, 2018

आपका विश्वासी

7/2/18

(सुरेश कुमार शर्मा)

वरिष्ठ नागरिक

ग्राम - सराय, पो० :- खगौल - 801105,

जिला :- पटना

मो० नं० :- 9334282765